

30/7/25 पत्रावली पेजी में ली गई, प्रार्थना पत्र स्वीकार  
कर प्राथित रात्ता स्वीकृत किया जाता है। विस्तृत  
निर्णय अलग से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली  
किया गया। पत्रावली नंबर से कम की जाकर  
द्वारिबल दफ्तर की जाती है। आदेश खुले राजलास  
सुनाया गया।

सहायक कलक्टर  
एवं उपखण्डाधिकारी  
हनुमानगढ़